



Date - 7 March 2022

जन औषधि दिवस

- जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए मनाया गया।
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस योजना के लाभार्थियों से वर्चुअली बातचीत करेंगे।

जन औषधि केंद्र

- केंद्र दुनिया की सबसे बड़ी खुदरा फार्मा श्रृंखला है। ये केंद्र 700 जिलों में फैले हुए हैं। भारत में ऐसे 6,200 से अधिक केंद्र हैं। 2019-20 में, इन आउटलेट्स पर कुल बिक्री 390 करोड़ रुपये से अधिक थी।
- इससे आम लोगों को रु. 2,200 करोड़। उपरोक्त लाभों के अलावा ये केंद्र स्वरोजगार के अच्छे स्रोत हैं।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP)

- प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना को फार्मास्युटिकल विभाग द्वारा सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था।
- इस योजना के तहत, "प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र" नाम के विशेष केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि कम कीमत पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
- इन जेनेरिक दवाओं को ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया (BPPI) द्वारा खरीदा जाता है, जिसे सभी CPSU के सहयोग से फार्मास्युटिकल विभाग के तहत स्थापित किया गया है। BPPI इन जनऔषधि केंद्रों के माध्यम से जेनेरिक दवाओं के विपणन में भी मदद करता है।

पृष्ठभूमि

- यह योजना 2008 में यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई थी। वर्ष 2015 में, इस योजना को भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिर से शुरू किया गया था।
- इस अभियान की शुरुआत देश भर में “जन औषधि मेडिकल स्टोर्स” के माध्यम से जेनेरिक दवाओं की बिक्री कर की गई थी।
- सितंबर 2015 में, ‘जन औषधि योजना’ का नाम बदलकर ‘प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना’ (पीएमजेवाई) कर दिया गया। नवंबर 2016 में इसे “प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि योजना” में बदल दिया गया।

वैक्यूम बम

- रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज बारहवां दिन है। दुनिया भर के तमाम देश रूसी राष्ट्रपति पुतिन से इस युद्ध को रोकने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन पुतिन एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। बदले में यूक्रेन भी मोर्चे पर खड़ा है।
- इस बीच, यूक्रेन ने रूस पर प्रतिबंधित समूहों और वैक्यूम बमों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन इन हथियारों का इस्तेमाल कर युद्ध अपराध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन हमलों में कई आम नागरिक मारे गए हैं।

वैक्यूम बम:

- वैक्यूम बम उच्च शक्ति का एक अत्यधिक विस्फोटक हथियार है, जो अपनी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए वातावरण का उपयोग करने में सक्षम है।
- वैक्यूम बम को थर्मोबैरिक हथियार भी कहा जाता है। यह अब तक विकसित सबसे शक्तिशाली गैर-परमाणु हथियारों में से एक है। इस वजह से जिनेवा कन्वेंशन के तहत इस हथियार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- इस बम को सभी बमों का जनक भी कहा जाता है। यह एक परमाणु बम की तरह गर्मी उत्पन्न करता है और यह एक अल्ट्रासोनिक शॉकवेव के साथ फट जाता है जो अधिक विनाश लाता है।

कार्य प्रणाली:

- वैक्यूम बम तापमान को एक महत्वपूर्ण डिग्री तक बढ़ाने के लिए अपने परिवेश से ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। इस तरह से ऑक्सीजन सोखने की वजह से यह बम पारंपरिक हथियारों से ज्यादा तबाही मचाता है।
- ये हथियार पहले हवा में एक विशेष प्रकार का स्प्रे छोड़ते हैं, जिसमें धातु के बहुत महीन कण, ज्वलनशील धूल या रासायनिक बूंद होते हैं।
- ये स्प्रे पर्यावरण के चारों ओर फैले हुए हैं, खासकर शहरी क्षेत्रों में और दुश्मन के बंकरों के अंदर आसानी से घुस जाते हैं। फिर बम में प्रज्वलन स्रोत आग उत्पन्न करता है, जो बहुत तेजी से पूरे क्षेत्र में फैल जाता है, जिससे एक जबरदस्त और खतरनाक निर्वात पैदा होता है।
- ऐसे विस्फोट की शक्ति इतनी अधिक होती है कि घरों की छतें भी उड़ जाती हैं। बंकर उजड़ गए हैं और उसमें लोगों के शव उड़ा दिए गए हैं। जो व्यक्ति बम के पास मौजूद होता है वह तुरंत भाप में बदल

जाता है। दूर के लोगों पर इसका ऐसा असर होता है कि उनके शरीर के अंदरूनी अंगों से खून बहने लगता है।

- थर्मोबैरिक हथियार 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों द्वारा विकसित किए गए थे। अमेरिका और रूस दोनों ने ऐसे बमों के कई संस्करण बनाए हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण उन्होंने इसे न तो किसी अन्य देश को बेचा है और न ही सार्वजनिक रूप से इसका इस्तेमाल किया है।
- सितंबर 2007 में, रूस ने अब तक इस्तेमाल किए गए सबसे बड़े थर्मोबैरिक हथियार का विस्फोट किया, जिससे 9 टन ऊर्जा के बराबर का उत्सर्जन हुआ। वहीं, अमेरिका के थर्मोबैरिक हथियारों की एक-एक यूनिट की कीमत 16 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है।

यिलन क्रेटर

- हाल ही में, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने पूर्वोत्तर चीन में दस लाख वर्षों के भीतर दुनिया के सबसे बड़े क्रेटर की खोज की है। यह चीन में खोजा गया दूसरा प्रभाव क्रेटर है।
- क्रेटर किसी भी खगोलीय पिंड पर गोल या लगभग गोल आकार का गड्ढा होता है जिसे विस्फोटक तरीके से बनाया जाता है।
- यह ज्वालामुखी के फटने से बना हो सकता है; हो सकता है कि अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्कापिंड के प्रभाव से बना हो; या यह जमीन के अंदर किसी अन्य विस्फोट से भी बन सकता है।

क्रेटर कई प्रकार के होते हैं जैसे

- इम्पैक्ट क्रेटर, जो तब बनता है जब कोई छोटी वस्तु बहुत तेज गति से किसी बड़ी वस्तु से टकराती है। उदाहरण के लिए, क्षुद्रग्रह या उल्कापिंड टकराने पर प्रभाव क्रेटर बनते हैं।
- ज्वालामुखी विस्फोट से बना ज्वालामुखीय क्रेटर।
- धंसा हुआ क्रेटर, जो जमीन के नीचे किसी विस्फोट से बनता है, जैसे परमाणु परीक्षण आदि। इसमें जमीन नीचे की ओर डूब जाती है।
- मार क्रेटर, जो उबलते लावा के साथ मिश्रित पानी के विस्फोट से बनता है।
- बिल क्रेटर, जो गुफा की छत के ढहने या जमीन के नीचे गैप से बनता है।
- धमाका क्रेटर, जो तब बनता है जब किसी भूमिगत विस्फोट का मलबा बाहर की ओर फेंका जाता है, यानी उसमें जमीन नहीं डूबती है।

- चीन में खोजे गए नए क्रेटर का नाम यिलन क्रेटर है। इस क्रेटर का निर्माण लगभग 1 लाख वर्षों में हुआ था। यह चीन के तटीय प्रांत लिओनिंग के जियुआन काउंटी में है।
- लगभग 85 किमी व्यास वाला यह गड्ढा जिंगान पर्वत के निचले हिस्से में बना है। रेडियोकार्बन डेटिंग से पता चला है कि इसका निर्माण लगभग 46 हजार से 53 हजार वर्षों के बीच हुआ था। यहां मौजूद चारकोल और अन्य कार्बनिक पदार्थों की जांच से यह बात सामने आई है।
- इस क्रेटर के बारे में जो भी अध्ययन किया गया है वह 'मेटियोरेटिक्स एंड प्लेनेटरी' नाम की साइंस जर्नल में प्रकाशित हो चुका है।

- यिलन क्रेटर का दक्षिणी भाग गायब है, जिससे यह चंद्रमा जैसा दिखता है। ऐसा लगता है कि यहां कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे गड्ढे की दीवार टूट गई।
- जानकारों का मानना है कि चांद जैसा दिखने वाला यह क्रेटर किसी क्षुद्रग्रह या उल्कापिंड के टकराने से बना है. अब तक अमेरिका के एरिजोना में मेटियोर क्रेटर के नाम पर दस लाख साल के भीतर बने सबसे बड़े क्रेटर का रिकॉर्ड बनाया गया था।
- इसका गठन 49 से 50 हजार साल के बीच हुआ था। इसका व्यास 2 किलोमीटर था। इसके अलावा चीन में जियुआन नाम का एक और गड्ढा है, जिसका व्यास 1.8 किलोमीटर है, लेकिन इसकी उम्र का अभी पता नहीं चल पाया है।
- अब तक पृथ्वी पर मौजूद करीब 190 क्रेटरों का पता लगाया जा चुका है, जिन्हें वैज्ञानिकों ने उम्र के आधार पर विभाजित किया है।
- दक्षिण अफ्रीका के मुक्त राज्य में मौजूद लगभग 200 मिलियन वर्ष पुराना 'ब्रेडेफोर्ट क्रेटर' दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना गड्ढा है। इसका व्यास लगभग **380** किमी है। यूनेस्को ने इसे **2005** में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था।

‘विश्व वन्यजीव दिवस’

- वर्ष 2013 से हर साल 3 मार्च को 'विश्व वन्यजीव दिवस' का आयोजन किया जाता है।
- यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस तिथि को वन्यजीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) को वर्ष 1973 में अपनाया गया था।
- यह सीआईटीईएस सचिवालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प द्वारा संयुक्त राष्ट्र कैलेंडर में वन्यजीवों के लिए इस विशेष दिन के वैश्विक पालन को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित है।

वर्ष 2022 की थीम:

- थीम: पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों की बहाली।
- वन्य जीवन और वनस्पतियों की सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों में से कुछ के संरक्षण की स्थिति पर ध्यान आकर्षित करने के लिए विषय को चुना गया है।

इस दिन का महत्व:

- यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों-1, 12, 14 और 15 के साथ जुड़ा हुआ है और गरीबी को कम करने, संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने और जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए भूमि और पानी के नीचे जीवन को संरक्षित करने का प्रयास करता है। यह उनकी व्यापक प्रतिबद्धताओं के अनुरूप भी है।
- हमारा ग्रह वर्तमान में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं और इसके कारण आने वाले दशकों में एक लाख प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं।

जीव और वनस्पति प्रजातियों की वर्तमान स्थिति:

- वन्य जीवों और वनस्पतियों की 8000 से अधिक प्रजातियां लुप्तप्राय हैं और 30,000 से अधिक प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं।
- यह भी अनुमान है कि लगभग एक लाख प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं।
- भारत में सभी दर्ज प्रजातियों का 7-8% हिस्सा है, जिसमें पौधों की 45,000 से अधिक प्रजातियां और जानवरों की 91,000 प्रजातियां शामिल हैं।
- भारत दुनिया के सबसे जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है जहां तीन जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं – पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और इंडो-बर्मा हॉटस्पॉट।
- देश में 7 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल, 11 बायोस्फीयर रिजर्व और 39 रामसर साइट हैं।
- भारत में कई वन्यजीव संरक्षण पार्क और अभयारण्य हैं, जिनमें उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान, केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल शामिल हैं। राज्य में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आदि शामिल हैं।
- मानव गतिविधियों के साथ-साथ प्रजातियों के विलुप्त होने के मुख्य कारकों में शहरीकरण के कारण निवास स्थान का नुकसान, अतिदोहन, प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवास से स्थानांतरण, वैश्विक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन आदि शामिल हैं।
- अवैध वन्यजीव व्यापार भी पौधों और जंगली जानवरों की आबादी को नुकसान पहुंचा रहा है और लुप्तप्राय प्रजातियों को विलुप्त होने की ओर धकेल रहा है। इसके कई सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम भी हो सकते हैं जैसे कि जूनोटिक रोगजनकों का प्रसार।

वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत का घरेलू कानूनी ढांचा:

वन्य जीवन के लिए संवैधानिक प्रावधान:

- वनों और जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण को 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया।
- संविधान के अनुच्छेद 51 ए (g) में कहा गया है कि वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा।
- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत, अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

कानूनी ढांचे:

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
- जैव विविधता अधिनियम, 2002

वैश्विक वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में भारत का योगदान:

- वन्यजीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES)
- वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (सीएमएस)

- जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी)
- विश्व विरासत सम्मेलन
- रामसर कन्वेंशन
- वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क
- वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम
- अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग
- प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ
- ग्लोबल टाइगर फोरम

Swadeep Kumar

Yojna IAS